डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0 / 362 /2024

दिनांक 08/08/2024

सेवा में,

प्राचार्य,

SRI SURESH CHANDRA SHARMA DEGREE COLLEGE,

JAGNER, AGRA (कालेज कोड़–283)

विषयः–महाविद्यालय में शिक्षक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि महाविद्यालय को **बी0ए0, बी0कॉम0 एवं बी0एससी0** पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से **स्थायी / अस्थायी** सम्बद्धता प्राप्त है परन्तु महाविद्यालय द्वारा शिक्षक अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नही की गयी है। उक्त पाठ्यक्रमों / विषय में या तो शिक्षक अनुमोदित नही या कालातीत हो चुके हैं। महाविद्यालय द्वारा इतना समय व्यतीत होने के उपरान्त भी शिक्षक अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त नही किये गये हैं। यह कृत महाविद्यालय संचालन में लापरवाही का घोतक है एवं शासन / विश्वविद्यालय के नियमों की अवहेलना है।

अतः उपरोक्तानुसार महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के 05 दिन में प्राचार्य / शिक्षक अनुमोदन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण कर पत्रावली अनुमोदनार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि स्थिति में किसी भी कार्यवाही के लिये महाविद्यालय प्रबन्धन स्वयं जिम्मेदार होगा।

साथ ही महाविद्यालय में प्राचार्य से सम्बन्धित कार्य एवं पठन–पाठन का कार्य कैसे और किन शिक्षकों से कराया जा रहा है के सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या 02 कार्य दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

08/08/24

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. परीक्षा नियंत्रक।
2. प्रवेश समन्वयक।
3. प्रभारी, कुलपति सचिवालय–मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. अधिकृत ऐजेन्सी को इस आशय से प्रेषित की सूचना महाविद्यालय की लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. गार्ड फाइल।

कुलसचिव